

24/5/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 24.5-18 के स्थान पर दिनांक 29.6-18 को राजस्व लोक अदालत बेंच स्थान कामठी के समक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी बदकारान मुचित हो।

महापक कलेक्टर (SDO), जोधपुर, राजस्थान

28.6.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय क्रमिके द्वार 2018 के कैंप कामठी में प्रेषित। वकील ने कैंप में उपस्थित होकर हिदायत दी की इफ्त में कामे चलाना नहीं पहाता है। किता इस वाद में आगामी कार्यवाही के स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फल प्रुभार होकर दाखिल दफतर हो

पहचानकर्ता

28/6/18
DR (कामठी)

महापक कलेक्टर (SDO) जोधपुर

ने यह वाद आगे नही समाना साक है वाला